



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 915]

No. 915]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2004/आश्विन 28, 1926

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2004/ASVINA 28, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2004

का.आ. 1170(अ).—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और उप-धारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

- (1) इस आदेश को चाय (विपणन) नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2004 कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का पैराग्राफ 25 हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. टी.-12014/2/2003-बागान (क)]

अभिजित सेनगुप्त, अपर सचिव

पाद टिप्पणी.—मूल अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2003 के सं. का.आ. 1 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और इसमें इसके पश्चात संशोधन दिनांक 28 फरवरी, 2003 के सं. का.आ. 247(अ), दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के सं. का.आ. 430(अ) और दिनांक 27 फरवरी, 2004 के सं. का.आ. 270(अ) के तहत किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 20th October, 2004

S.O. 1170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (5) of Section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely :

- (1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control (Second Amendment) Order, 2004.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003, paragraph 25 shall be omitted.

[F. No. T-12014/2/2003-Plant(A)]

ABHIJIT SENGUPTA, Addl. Secy.

Foot Note.—The principal notification was published vide No. S.O. 1(E) dated the 1st January, 2003 in the Gazette of India, Extraordinary and subsequently amended vide No. S.O. 247(E) dated the 28th February, 2003, No. S.O. 430(E) dated 10th April, 2003 and No. S.O. 270(E) dated 27th February 2004.